हुकुम सिंह और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

सितंबर 14,2000

[के. टी. थॉमस और आर. पी. सेठी, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 226,231,313,379-विचारण के दौरान, लोक अभियोजन ने केवल दो स्वतंत्र गवाहों की जॉच नहीं की यह जानते हुए कि वे दोनों गवाह अभियोजन के व्यान के खिलाफ बोलेगे- की उपक्तता- अवधारित किया, यदि लोक अभियोजक को पता था कि जांच एजेंसी द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत कुछ व्यक्ति अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो वह अदालत के समक्ष इस तथ्य को बताने के लिए स्वतंत्र है और उन गवाहों से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की जा रही है-यदि कोई विशेष गवाह अदालत में जो बयान दे सकता है वह अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में नहीं है, तो लोक अभियोजक पर उन व्यक्तियों से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ करने के लिए जोर देना अनुचित होगा। लोक अभियोजक से अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है अभियोजन और अभियोजन मामले के अपमान में नहीं।

दंड संहिता, 1860-धाराएँ 302/34-अपीलकर्ता विभिन्न प्रकार से सशस्त्र होकर बस स्टॉप पर मृतक के दिन के काम के बाद उसके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए एकत्र होते हैं और उनमें से एक द्वारा उसे गोली मारने के बाद, सभी एक साथ मिलकर पीड़ित और उसकी पत्नी और बेटे पर भी प्रहार करते हैं जो मृतक को बचाने के लिए दौड़े थे-अपीलकर्ता फिर संयुक्त रूप से मृतक को चिता तक घसीटते हैं और उसे आग लगा देते हैं- अवधारित किया, साक्ष्य की जांच

पर आयोजित किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी अपीलकर्ता हत्या के अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा, की पुष्टि की।

एक अधिवक्ता क्लर्क की उसके ही घर के आसपास ए 1, ए 2, ए 4 और ए 5 द्वारा हत्या कर दी गई थी जब वह दिन का काम करके घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास एक बस से उतरा और अपने बेटे से थोड़ा आगे चलाते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, अपीलार्थी अलग-अलग हथियारों से लैस होकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर ए 1 ने उसे खत्म करने का आह्वान किया और फिर डी जिसने मुकदमा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया, उसने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी जो उसकी पीठ पर लगी और वह मौके पर ही गिर गया। उसका बेटा और पत्नी उसे बचाने के लिए दौड़े। सभी अभियुक्तों ने उन दोनों पर हमला किया। फिर हमलावरों ने मृतक को जमीन पर घसीट लिया और उसे अपने आंगन में ले आए। उन्होनें एक चिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी शोक संतप्त विधवा और बेटे की दृष्टि में उनका अंतिम संस्कार किया।

पुलिस ने अपीलार्थियों सहित छह लोगों पर आरोप पत्र दायर किया।

सत्र अदालत ने उन सभी को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को बरी करने आदेश को पलट दिया और उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया। अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 के तहत वर्तमान अपील। अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि लोक अभियोजक दो स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य को रोक नहीं सका क्योंकि शेष गवाह मृतक व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार थे; कि जाँच के लिए गवाहों को चुनने में लोक अभियोजक के विवेकाधिकार में ऐसे स्वतंत्र गवाहों को जाँच से दूर रखने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो सकती है। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया था कि भले ही ए 1 और डी को हत्या के लिए जिम्मेदार पाया गया हो,

वह भारतीय दंड संहिता की धारा 149 या धारा 34 के माध्यम से मृतक की हत्या के साथ शेष अपीलार्थी को जोड़ने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, कि यदि शेष अपीलार्थी द्वारा किए गए कार्य सही थे, तो वह अपराध जिसका वे दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे, आई. पी. सी. की धारा 201 से आगे नहीं बढ़ सकता था।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि लोक अभियोजक ने उन दो गवाहों से पूछताछ न करने में कोई अनुचितता नहीं की, कि जब लोक अभियोजक को पता चला कि वे दो गवाह अभियोजन पक्ष के बयान के खिलाफ बोलेंगे, तो उसने उनको दरकिनार किया और यह लोक अभियोजक का विशेषाधिकार था कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ न करे; कि यह लोक अभियोजक के लिए खुला था कि वह किसी भी व्यक्ति से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ न करने के अपने फैसले के बारे में अदालत को रिपोर्ट करे, विशेष रूप से जब उसे अपने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से रिपोर्ट मिली कि उन गवाहों को अभियुक्त ने जीत लिया था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अवधारित कियाः

1. प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका को निश्चितता की उचित डिग्री के साथ समझा जा सकता है। बस स्टॉप पर उनके, एकत्रित होने के साथ शुरु, जो संभवतः मृतक के दिन भर के काम के बाद उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, यह तथ्य कि सभी अलग-अलग हथियारों से लैस थे, यह तथ्य कि वे सभी मारे गए पीड़ित पर और उसकी पत्नी और बेटे पर भी प्रहार करने में एक साथ शामिल हो गए, जो अपनी रोटी जीतने वाले को बचाने के लिए दौड़े, और यह तथ्य कि वे सभी संयुक्त रूप से मृतक को चिता तक खींचकर ले गए और उसे आग लगा दी, यह तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उन सभी को नष्ट करने का सामान्य उद्देश्य था। उसी शाम मृतक साक्ष्य की जांच पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी

अपीलार्थी उनके खिलाफ पाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। [292 - ई-जी]

2.1. सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणों में अभियोजन पक्ष "एक लोक अभियोजक द्वारा संचालित" होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 226 अभियुक्त के खिलफ लाए गए उसे आरोप का वर्णन करके अपना मामला खोलने का आदेश देती है। उसे यह बताना होगा कि वह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए व किस प्रमाण को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हैं। अगर वह उस स्तर पर ही जानता था कि जांच एजेंसी द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत कुछ व्यक्ति अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर सकते है, वह न्यायालय के समक्ष यह तथ्य कहने के लिए स्वतंत्र है वैकल्पिक रूप से, वह आगे इंतजार कर सकता है और उस संस्करण जिसे कोई विशेष गवाह न्यायालय में बोल सकता है के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि वह संस्करण अभियोजन मामले के समर्थन में नहीं है तो लोक अभियोजक को आग्रह करना अनुचित होगा कि वे उन व्यक्तियों को अभियोजन के गवाह के रुप में जॉच करेँ।

2.2. जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 में परिकल्पित चरण में पहूॅच जाता है, सत्र न्यायाधीश ऐसे सभी साक्ष्यों को लेने के लिए वाध्य है, जो अभियेजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता हैँ। उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि बाद में से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है उक्त स्तर पर लोक अभियोजक एक निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि उद्धृत व्यक्तियों में से किसकी जाँच की जानी है। यदि किसी एक विन्दु पर बहुत सारे गवाह है, तो लोक अभियोजक को उनमें से दो या कुछ को चुनने की सवतंत्रता है ताकि समान आशय के तथ्यों पर व्यानो की पुनरावृति से बचकर, न्यायालय का समय बचाया जा सकेँ। इस सिदांत का प्रयोग तब होता है, जब बहुत सारे गवाह जिन्हें घटना के समक्ष चोटें लगी थी, तलब किये जाते

है। ऐसे मामलों में लोक अभियोजक सभी घायल गवाहों से पूछताछ करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह उनमें से किसी भी दो या तीन की जांच करके संतुष्ट होता है, तो वह अदालत को सूचित करने के लिए स्वतंत्र है कि वह उस श्रेणी के शेष व्यक्तियों की जाँच करने का प्रस्ताव नहीं करता है। इससे न केवल अभियोजन पक्ष को उसी मुद्दे पर दोहराए जाने वाले साक्ष्य पेश करने के दबाव से राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालय को काम के बोझ को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। [290 - एच; 292-ए-सी]

2.3. एक मामले में स्थिति जहां अभियोजन पक्ष ने घटना के गवाहों में दो श्रेणियों का हवाला दिया एक में पीड़ित से निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं और दूसरे में ऐसे गवाह शामिल होते हैं जिनका ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, अदालत के प्रति लोक अभियोजक का कर्तव्य उसे बाद की श्रेणी के गवाहों को पेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जो उसके विवेक के अधीन उनमें से एक या दो तक सीमित हो सकता हैं। लेकिन अगर लोक अभियोजक को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि उस श्रेणी में से कोई एक भी अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करेगा तो वह उस तथ्य के बारे में अदालत में बताने के लिए स्वतंत्र है और अभियोजन साक्षी के रुप में उस साक्षी की जॉच को छोड़ सकता है।यह बचाव पक्ष के लिए उसे उद्धृत करने के लिए खुला है कि बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उसकी जाँच करें। इस संबंध में लोक अभियोजक द्वारा निष्पक्ष तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए। वह पहले से ही गवाह का साक्षात्कार ले सकता है ताकि वह पहले से ही इस स्थिति को अच्छी तरह से जान सके कि वह व्यक्ति अदालत में परीक्षण के दौरान किस रुप में गवाही देगा। [291 - डी-एफ]

मसालाती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. **(1965) एस. सी. 202 पर निर्भर था।**

दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, **[1954] एस. सी. आर. 145;** *गुली चंद बनाम राज्यस्थान राज्य* **[1974] 3 एस. सी. सी. 698;** *दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य,* **[1976] 4**

एस. सी. सी. 158; *बावा हाजी बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर.,* **(1974) एस. सी. 902** *और शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **[1973] 2 एस. सी. सी. 793, संदर्भित।**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 1998 का आपराधिक अपील सं 261 से।

1982 का खड़पीठ अपराधिक अपील सं. 443 में राजस्थान उच्च न्यायालय का निम्नाकित 05.09.97 के निर्णय एवं आदेश से।

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री अंजलि दोशी, सुशील कुमार जैन और ए. मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय **थॉमस, न्या.** द्वारा दिया गया था- एक वकील के क्लर्क के हत्यारों ने एक अंतिम संस्कार की व्यवस्था की अपने दम पर की एवं पीड़ित का अंतिम संस्कार अपनी शोक संतप्त विधवा और बेटे को देखते हुए किया। पुलिस ने उन कृत्यों के लिए अपीलार्थियों सहित छह लोगों पर आरोप पत्र दायर किया। लेकिन सत्र अदालत ने उन सभी को बरी कर दिया। जैसे ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ बरी करने के आदेश को उलट दिया और उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 (संक्षेप में 'संहिता') के तहत यह अपील दायर की। हमने अपीलार्थियों के अधिवक्ता श्री उदय उमेश ललित और राजस्थान राज्य की अधिवक्ता सुश्री अंजलि दोशी की विस्तृत दलीलें सुनीं।

मुंशी सिंह एक वकील का क्लर्क था जिसकी हत्या उसके मकान के आसपास 29.06.1981 को लगभग 7 बजे पिस्तौल और अन्य घातक हथियारों का उपयोग करके की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला निम्नलिखित हैः

अपीलार्थी हुकुम सिंह (जिसे ट्रायल कोर्ट में ए. 1 का दर्जा दिया गया था) और उनके भाई हरनाम सिंह (ए. 5) और उनके बेटे जसवंत सिंह (ए. 2) और बलवंत सिंह (ए. 4) के पास मृतक मुंशी सिंह के खिलाफ समाप्त कर देने की भावना थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिन की शाम को मुंशी सिंह अपने घर के पास एक बस से उतरे एवं घर की ओर जाने लगे। उनका लड़का भूपिंदर पाल

(अभि. साक्षी 4)। मवेशियों के चारे के एक थैले को अपने अधिकार में लिया जो उनके पिता बाजार से लाए थे और वे भी वह अपने पिता से थोड़ा आगे चल रहा था। सभी अपीलार्थी बस स्टॉप पर विभिन्न हथियारों से लैस थे। अपीलार्थियों में से एक मृतक को देखने पर (हुकुम) सिंह) ने उसे खत्म करने का आह्वान किया और फिर दर्शन सिंह (जो मुकदमा शुरू होने से पहले ही मर गये थे) अपनी पिस्तौल से गोली चला दी जो मृतक को पीछे की ओर लगी। वह मौके पर ही गिर पड़ा।

उपरोक्त दुर्घटना से अपने पिता को आहत देखकर अभि. साक्षी 4 भूपेन्द्र पाल उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। हंगामा सुनकर मुंशी सिंह की पत्नी अपने घर से भागकर अपने पति के पास पहुंच गई। सभी अभियुक्त मृतक के साथ-साथ दोनो पर प्रहार किए। तब हमलावर मृतक को जमीन पर घसीटकर प्रांगण में ले आए। वे जलाऊ लकड़ी के टुकड़ो से चिता बनायी एवं उस पर मुंशी सिंह के शरीर को डाल दिया एवं आग लगा दी जबकि उनकी पत्नी एवं लड़का आतंकित होकर देख रहे थे।

पुलिस को सतर्क कर दिया गया और वे मौके पर पहुंचे लेकिन उन्हें केवल मुंशी सिंह के बचे हुए हिस्से और बुझती चिता के सुलगे हुए अंगारे मिले। उन्होंने आग की लपटों को बुझा दिया और जो लाश का जो कुछ बचा था उसे बचा लिया। डॉक्टरों की एक टीम ने पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया जिनमें से पीडब्लू 8 डॉ. राजेंद्र कुमार ने सबूत दिया कि शव इस तरह जले हुए स्थिति में पहुंचा कि मृत्यु के कारण के बारे में एक राय बनाना असंभव था। हालाँकि, उन्होंने कंकाल से एक धातु पदार्थ बरामद किया जो पिस्तौल चलाने का अंतःस्थापित अवशेष हो सकता है।

जब संहिता की धारा 313 के तहत हुकुम सिंह से सत्र न्यायाधीश द्वारा पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने मृतक की हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने इस तरह एक विपरीत

संस्करण को आगे बढ़ायाः उन्होंने और दर्शन सिंह ने मृतक को भारमा बाई से लड़ते हुए देखा। और महिला रो रही थी। फिर दर्शन सिंह ने छेड़छाड़ करने वाले मुंशी सिंह पर गोली चला दी। जब उनके पुत्र भूपेंद्र पाल (पीडब्लू 4) और उनकी पत्नी राम प्यारी (पीडब्लू. 5) मौके पर पहुंचे और हुकुम सिंह और उनके सहयोगियों ने उन्हें जबरन मुंशी सिंह को मौके से हटाने से रोक दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मुंशी सिंह के शव का बाद में उनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था।

न तो सत्र न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने हुकुम सिंह के उक्त संस्करण को सच पाया। उन्होंने भरमा बाई की जाँच करने की परवाह नहीं की और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत संस्करण को प्रमाणित करने का कोई भी प्रयास किया। इसलिए अदालतें मुकदमे के अंतिम चरण में हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विलंबित संस्करण में कोई विश्वास नहीं जोड़ा गया।

भूपेंद्र पाल (पीडब्लू 4) और राम प्यारी (पीडब्लू 5) दोनों चश्मदीद गवाह थे जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई। यह तथ्य है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे विवादित नहीं किया जा सकता है और न ही अभियुक्त द्वारा विवादित किया गया है। हमलावरों के हाथों उन्हें चोटें आईं एवं डॉक्टर जिन्होंने इस तरह की चोटों को नोट किया था, उन्होंने पी. डब्ल्यू. 9 के रूप में अदालत में उनके बारे में गवाही दी थी। अदालत में पीडब्लू-4 द्वारा बोला गया संस्करण काफी हद तक एक पुनरावृत्ति संस्करण है जिसे उन्होंने उसी रात 8:40 बजे पुलिस को प्रदान किया। यही एफ़. आई. आर. का आधार बना। सत्र न्यायालय ने उन गवाहों की गवाही को इस गलत धारणा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वे "इच्छुक गवाह" हैं। उन्हें "इच्छुक गवाह" के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र आधार यह है कि वे मृतक के रिश्तेदार थे। ऐसे गवाहों को इच्छुक गवाह क्यों कहा जाना चाहिए? यदि वे इस घटना को देखे थे, वे

निश्चित रूप से अपने कमाने वाले की हत्या के अपराधियों को कानून के दायरे में लाने में रुचि रखते हैं। आम तौर पर मृतक के परिजन, यदि उन्होंने घटना देखी होती तो वे वास्तविक अपराधियों को दोषमुक्त नहीं करते और उस हत्या के लिए निर्दोष व्यक्तियों को शामिल नहीं करते। *दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1954] एस. सी. आर. 145; *गुली चंद बनाम राजस्थान राज्य*, [1974] 3 एस. सी. सी. 698 और *दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य*, [1976] 4 एससीसी 158।

जो भी हो, वह शीघ्रता जिसके साथ प्रथम सूचना बयान पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा इस मामले में दर्ज किया गया था, ऐसा आश्वासन देता है कि उसने पुलिस को घटना का सही विवरण बताया होगा।

प्रथम सूचना वक्तव्य में पीडब्लू. 4 ने उल्लेख किया है कि एक इंदर सिंह और एक बुध राम नायक ने भी इस घटना को देखा है। जाँच अधिकारी ने उन दो व्यक्तियों को घटना के गवाह के रूप में शामिल किया जब अंतिम रिपोर्ट रखी गई थी। लेकिन सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक द्वारा उनकी जांच नहीं की गई। सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष पर नाराज़गी जताई क्योंकि उन गवाहों की जाँच नही की थी। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उन गवाहों की गैर-जांच लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन के कारण थी कि वे दो गवाह अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करते थे। उस पहलू के बारे में उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

> "हमारी राय में, उन गवाहों की जांच करना जिन्हे वह पसंद करता है, लोक अभियोजक का विवेकाधिकार है। अभियोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक विशेष तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्येक गवाह की जाँच करें। जब लोक अभियोजक को पता चला कि इंदर सिंह और बुध राम अभियोजन के पक्ष में बयान नही देगा, तो अदालत में

एक आवेदन देकर कि गवाह अभियुक्त से मिले हुए है, कहकर उन्हें गवाही से छोड़ देना, उनके लिए न्यायोचित नही था। लोक अभियोजक के आचरण में कुछ भी गलत नही था।"

अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री उदय उमेश ललित ने उन दो गवाहों से पूछताछ नहीं करने के लिए लोक अभियोजक की आलोचना की, क्योंकि वे एकमात्र स्वतंत्र गवाह थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस तरह के वाद में लोक अभियोजक ऐसे स्वतंत्र साक्ष्य को रोक नहीं सकता है, क्योंकि शेष गवाह मृतक व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार थे। वकील ने तर्क दिया कि ऐसे स्वतंत्र गवाहों को जांच से दूर रखना, लोक अभियोजक द्वारा जांच के लिए गवाहों को चुनने की स्वतंत्रता उनके विवेकाधिकार में नहीं है।

दूसरी ओर, सुश्री अंजली दोशी, विद्वान वकील ने राज्य की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि लोक अभियोजक ने उन दो गवाहों से पूछताछ नहीं करने में कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। जब उन्हें पता चला कि वे दो गवाह अभियोजन पक्ष के संस्करण के खिलाफ बोलेगा तो उसने उन्हें दरकिनार कर दिया और लोक अभियोजक का ऐसे व्यक्तियों की अभियोजन पक्ष के गवाह के रुप में जाँच नही करना उनका विशेषाधिकार है। किसी व्यक्ति की जांच नही करने के बारे में लिए गए निर्णय के बारे में लोक अभियोजक अदालत को सूचित करने में स्वतंत्र है, विशेष रुप से जब उन्हे राज्य विद्वान अधिवक्ताओं के अनुसार, अपने स्वयं के स्त्रोतों के माध्यम से रिपोर्ट मिली हो कि अभियुक्तों ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है।

सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमों में अभियोजन एक लोक अभियोजक द्वारा चलाया जाएगा। संहिता की धारा 226 उसे अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप का वर्णन करके अपना मामला खोलने का आदेश देती है। उसे करना पड़ता है। वह बताएँ कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए वह कौन सा सबूत पेश करने का प्रस्ताव करता है। यदि वह

उस स्तर पर ही जानता था कि जांच एजेंसी द्वारा गवाह के रूप में उद्धृत कुछ व्यक्ति अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो वह अदालत के समक्ष उस तथ्य को बताने के लिए स्वतंत्र है। वैकल्पिक रूप से, वह आगे प्रतीक्षा कर सकता है और उस संस्करण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकता है जो किसी भी विशेष गवाह द्वारा अदालत में बोला जा सकता है। यदि वह संस्करण अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में नहीं है तो लोक अभियोजक पर उन व्यक्तियों से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ करने का आग्रह करना अनुचित होगा।

जब मामला संहिता की धारा 232 में परिकल्पित चरण में पहुंच जाता है सत्र न्यायाधीश "अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी साक्ष्य लेने के लिए बाध्य है।" उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक से "अभियोजन पक्ष के समर्थन में" सबूत पेश करने की अपेक्षा की जाती है न कि अभियोजन मामले के अपमान में। उक्त स्तर पर लोक अभियोजक निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि उद्धृत व्यक्तियों मे से किसकी जाँच की जानी है। अगर किसी बिंदु पर बहुत सारे गवाह हैं तो लोक अभियोजक को उनमें से दो या कुछ को अकेले चुनने की स्वतंत्रता है ताकि अदालत का समय समान तथ्यात्मक पहलुओं पर दोहराए जाने वाले बयानों से बचाया जा सके। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब बहुत सारे गवाहों का हवाला दिया जाता है यदि उन सभी को घटना के समय चोटें लगी थीं। ऐसे मामलों में लोक अभियोजक सभी घायल गवाहों से पूछताछ करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह उनमें से किसी भी दो या तीन की जांच करके संतुष्ट होता है, तो वह अदालत को सूचित करने के लिए स्वतंत्र है कि वह उस श्रेणी में शेष व्यक्तियों की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करता है। इससे न केवल अभियोजन पक्ष को राहत मिलेगी कि एक ही बिंदु पर दोहराए जाने वाले साक्ष्य को पेश करने का दबाव कम हो बल्कि अदालत को काम के बोझ को कम करने में भी काफी मदद करता है।

समय आ गया है कि काम के बोझ को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, विशेष रूप से वे अदालतें जो मामलों से भरी हुई हैं, लेकिन न्याय के उद्देश्य को बाधित किए बिना।

एक मामले में जहां अभियोजन पक्ष ने घटना के लिए दो श्रेणियों के गवाहों का हवाला दिया, एक में पीड़ित से निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं और दूसरे में ऐसे गवाह शामिल हैं जिनका ऐसा कोई संबंध नहीं है, अदालत के प्रति लोक अभियोजक के कर्तव्य के लिए उसे बाद की श्रेणी से भी गवाह पेश करने की आवश्यकता हो सकती है एवं उनमें से एक या दो तक सीमित करने के अपने विवेकाधिकार के अधीन हो सकती है। लेकिन यदि लोक अभियोजक को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि उस श्रेणी में से कोई भी अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करेगा तो वह उस तथ्य के बारे में अदालत में बताने के लिए स्वतंत्र है और उस गवाह से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ करने से बच सकता है। बचाव पक्ष के लिए यह खुला है कि वह उसे उद्धृत करे और बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उससे पूछताछ करे। इस संबंध में लोक अभियोजक को निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेना है। वह पहले से ही गवाह का साक्षात्कार ले सकता है ताकि वह पहले से ही उस व्यक्ति के रुख को अच्छी तरह से जान सके। ताकि अदालत में गवाह के रूप में जाँच किए जाने पर वह क्या तरीका अपनाएगा।

इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने पैंतीस साल पहले *मसालटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* ए.आई.आर. (1965) एससी 202 में उपरोक्त कानूनी स्थिति बताई है। पीठ के निम्नलिखित अवलोकन को उद्धृत करना प्रासंगिक रूप से उचित हैः

> यह अज्ञात नहीं है कि जहां वर्तमान जैसे गंभीर अपराध किए जाते हैं और बड़ी संख्या में अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है, वहां अभियोजन पक्ष के गवाहों को आतंकित करने या जीतने के लिए प्रयास किए जाते है, और यदि अभियोजक ईमानदारी

से और सच्चाई से मानता है कि उसके कुछ गवाह गवाहों को जीत लिया गया है, यह जोर देना अनुचित होगा कि उसे ऐसे गवाहों को अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए।"

उक्त निर्णय *बावा हाजी बनाम केरल राज्य,* ए.आई.आर (1974) एससी 902 में लिया गया था। *शिवाजी साहबराव बाबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1973] 2 एस. सी. सी. 793, न्या. कृष्ण अय्यर ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा था कि सावधानी का ध्यान रखें कि जबकि एक लोक अभियोजक को गवाहों का चयन "चुनने और छाँटने" की स्वतंत्रता है, उन्हें न्यायालय और सच्चाई के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। यह अदालत *दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य*, [1976] 4 एससीसी 158 में इसी स्थिति को दोहराया है।

श्री उदय उमेश ललित ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि भले ही हुकुम सिंह और दर्शन सिंह को मुंशी सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो भा.दं.सं. की धारा 149 या धारा 34 के माध्यम से मृतक की हत्या के लिए शेष अपीलार्थी को जोड़ने की आवश्यकता का अधिकार नही देगा। विद्वान वकील के अनुसार, यदि कृत्य उनके लिए जिम्मेदार हैं (कि वे मृतक को चौक तक घसीटा और उसके शव को चिता पर रख दिया और उसे आग लगा दिया) सही हैं, तो अपराध जिसके लिए वे दोषी ठहराए जाने योग्य हैं आई. पी. सी. की धारा 201 से आगे नहीं बढ़ सकता है।

हमने उपरोक्त विवाद पर गंभीरता से विचार किया। अगर पीडब्लू 4 भूपेंद्र पाल और पीडब्लू. 5 राम प्यारे की भूमिका विश्वसनीय है। प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा किए गए कार्य को उचित मात्रा में निश्चितता से देखा जा सकता है- यह उतना मामूली नहीं है जितना कि विद्वान वकील द्वारा कहा जाना चाहिए। बस स्टॉप पर उनके अभिसरण के साथ शुरु करते हुए, संभवत, मृतक का अपने दिन के काम के बाद का वापसी का इंतजार करते हुए, यह तथ्य की सभी अलग-अलग तरह से सशस्त्र थे, ने गिर गए पीड़ित पर प्रहार किया, एवं जब अपने पारिवारिक

आय के स्त्रोत को बचाने के लिए उनकी पत्नी एवं बेटा दौड़े तो उन पर भी प्रहार किया और यह तथ्य कि उन सभी ने संयुक्त रूप से मृतक को चिता तक घसीटा और उसे आग लगा दी, यह तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उन सभी का उसी शाम मृतक को समाप्त करने का सामान्य उद्देश्य था।

साक्ष्य की जांच और तर्कों पर विचार करने पर विद्वान वकील द्वारा सेवा में गंभीरता से दबाए जाने पर हमारे पास असहमति का कोई कारण नहीं है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निष्कर्ष से कि सभी अपीलार्थी अपने खिलाफ पाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हम उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

एमपी. याचिका खारिज कर दी गई।

आलोक प्रकाश